



इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

चांदा तलावली मांगलिया, इन्दौर 453771

Phone : 0731-2802535, Fax No. 0731-28011559

Email – sanchi13a@gmail.com

सॉची दूध एवं दुग्ध पदार्थ, (विपणन कार्यालय MTH, कम्पाउंड, इन्दौर से) विक्रय करने हेतु सॉची पार्लर/शॉपी संचालनकर्ता की नियुक्ति हेतु अल्पकालिन सूचना

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर के इन्दौर शहर में स्थित विपणन कार्यालय MTH कम्पाउंड, इन्दौर से सॉची दूध एवं दुग्ध पदार्थ विक्रय करने हेतु सॉची पार्लर/शॉपी का संचालन करने हेतु 1 संचालनकर्ता की नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र का निर्धारित मूल्य रु. 500/- का भुगतान कर दिनांक 15/02/2019 दोपहर 12.00 बजे तक, स्थान विपणन कार्यालय इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर, चांदा तलावली मांगलिया, इन्दौर से क्रय किया जाकर दिनांक 15-02-2019 दोपहर 2.00 बजे तक दुग्ध संघ के आवक-जावक कार्यालय में जमा किया जा सकता है।

आवेदन सम्बन्धी अन्य विस्तृत जानकारी के लिये वेब-साईड www.mpcdf.nic.in पर निविदा प्रपत्र देखा जा सकता है, किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सह.दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर के पास सुरक्षित रहेगा।

नोट : उपरोक्त वेबसाईड से डाउनलोड किया गया आवेदन मान्य नहीं होगा। आवेदन दुग्ध संघ से क्रय किया जाना आवश्यक है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर



MTH कम्पाउण्ड में साँची मिल्क पार्लर / शॉपी
संचालन हेतु संचालनकर्ता की नियुक्ति हेतु

ॐ आवेदन पत्र ॐ

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
चांदा तलावली,, ए.बी.रोड, इन्दौर
दूरभाष 0731- 2802535 FAX NO 2802559

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
चांदा तलावली, मांगलिया, इन्दौर

२ सॉची पार्लर संचालन हेतु आवेदन प्रस्तुती विवरण १०



- (1) आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय। ■ 15/2/2019 दोप. 12.00 बजे तक।
- (2) आवेदन प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय। ■ 15/2/2019 दोप. 2.00 बजे
- (3) आवेदन प्रपत्र खोलने की तिथि एवं समय। ■ 15/2/2019, दोप. 2.30 बजे।
- (4) आवेदन के साथ जमा की जाने वाली अमानत राशि। ■ रू. 10,000/- (रू. दस हजार मात्र)
- (5) आवेदन खोलने का स्थान ■ इन्दौर सह.दुग्ध संघ मर्या.
चांदा तलावली, ए.बी.रोड, इन्दौर

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
इन्दौर सह.दुग्ध संघ मर्या.

पास पोर्ट
साईज फोटो
चस्पा करें।

विषय :- साँची पार्लर संचालन के लिये तकनीकी जानकारी बाबद।
महोदय,

MTH कम्पाउंड, साँची पार्लर/शॉपी संचालनकर्ता के कार्य हेतु दिनांक 02-2-2019 को पत्रिका समाचार पत्र मे प्रकाशित निविदा के संदर्भ मे निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र मे वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ कर समझ लिये गये है। यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मै आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ। अतः मै एतद् द्वारा अमानत राशि रू. 10,000/- (अक्षरी रू दस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक दिनांक/...../..... जो कि (राष्ट्रीयकृत बैंक का होना अनिवार्य है) संलग्न कर रहा हूँ।

—=0 तकनीकी अर्हतायें 0=—

क्र.	आवश्यक आर्हता	विवरण	अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज।
1.	आवेदक का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा मे पंजीयन का प्रमाण)		संस्था पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र/प्रमाण पत्र।
2.	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता।		पंजीकृत पार्टनरशिप डीड।
3.	संस्था/फर्म होने की दशा मे अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम।		संस्था/फर्म के संचालक मंडल/मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र।
4.	निविदाकर्ता का आधार नम्बर होना अनिवार्य है।		छायाप्रति संलग्न करे।
5.	जीएसटी नम्बर		छायाप्रति संलग्न करें।
6.	पान नम्बर		छायाप्रति संलग्न करें।
7.	बैंक खाता क्रमांक		बैंक स्टेटमेन्ट की एक वर्ष (2017-18) की छायाप्रति लगावें।
8.	विगत तीन वित्तीय वर्ष (वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18) अंकेक्षित बेलेन्स शीट।		आयकर विभाग मे रिटर्न जमा करने की पावती। (वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18)
9.	खाद्य एवं सुरक्षा का लाईसेंस नम्बर		छायाप्रति संलग्न करें।

क्र.	आवश्यक आर्हता	विवरण	अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज ।
10.	कार्यरत वितरक/रिटेलर यदि इस निविदा में भाग लेना चाहते हैं तो वर्तमान सुपरस्टाकिस्ट से अद्वैय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।		अद्वैय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।
11.	आवेदन प्रपत्र के साथ आवेदनकर्ता के विरुद्ध किसी प्रकार का न्यायालयीन प्रकरण नहीं हो जिसका सत्यापन निकटम पुलिस थाने से बनाना अनिवार्य है।		छायाप्रति संलग्न करें।
12.	दूध एवं दुग्ध पदार्थ व्यवसाय का अनुभव		कम से कम 5 वर्ष का। सत्यापन हेतु प्रमाणक संलग्न करना अनिवार्य है।
13.	टर्न ओव्हर		वर्ष 2015-16, 16-17, 17-18 प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 10 लाख या उससे अधिक अर्थात् कुल टर्न ओव्हर 30 लाख या उससे अधिक होना अनिवार्य है। सत्यापन हेतु अंकेक्षित वित्तीय लेखे जो सी.ए. द्वारा प्रमाणित हो।
14.	भूतपूर्व सैनिक एवं विकलांग को प्राथमिकता दी जावेगी।		प्रमाण प्रस्तुत करें।

नोट – उपरोक्त दर्शित 14 बिन्दुओं से संबंधित जानकारी/प्रमाणक प्रस्तुत करना अनिवार्य है। चयन हेतु 14 बिन्दुओं का आंकलन 26 अंक के आधार पर किया जावेगा। जिस आवेदनकर्ता को सर्वाधिक अंक प्राप्त होगा उन्हे कार्य आवंटन किया जावेगा। यदि सर्वाधिक मार्क (28 अंक) एक से ज्यादा आवेदनकर्ता को प्राप्त होता है तो आवेदनकर्ता का चयन उन सभी आवेदनकर्ता के समक्ष लॉटरी पद्धति से चयनित किया जावेगा।

नोट :-

- 1- उक्त समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित छायाप्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य है, तथा आवेदन खोले जाने के समय मूल दस्तावेजों से सत्यापित कराना अनिवार्य है।
- 3- उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर अरवेदन पत्र निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी।

हस्ताक्षर

नाम — — — — —
पता — — — — —
— — — — —
— — — — —

दूरभाष नम्बर
Mob No.

सॉची पार्लर/शॉपी संचालनकर्ता हेतु

आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यक शर्तें

- 1) वेब-साईड से डाउनलोड किया गया आवेदन मान्य नहीं होगा। आवेदन दुग्ध संघ कार्यालय, मांगलिया से क्य किया जाना आवश्यक है। यदि आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन की छायाप्रति प्रस्तुत की जाती है तो आवेदन स्वतः निरस्त हो जावेगा, जिस पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- 2) आवेदक को आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साईज फोटो लगाना अनिवार्य है।
- 3) आवेदक को दूध एवं दुग्ध पदार्थ विक्रय का अनुभव होना चाहिये, अनुभव रखने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जावेगी।
- 4) सॉची शॉपी पर दूध एवं दुग्ध पदार्थ का पर्याप्त भण्डारण रखना अनिवार्य है।
- 5) ऐसे आवेदक जो वर्तमान में इन्दौर दुग्ध संघ के दूध वितरक/रिटेलर है, उन्हें इस निविदा में सम्मिलित होने के पूर्व संघ के अधिकृत सुपरस्टाकिस्ट (दूध) से वित्तीय एवं क्रेट आदि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र (N.O.C) प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य रहेगा, अन्यथा उनके आवेदन पर किसी भी तरह से विचार किया जाना संभव नहीं होगा।
- 6) निविदा स्वीकार होने की स्थिति में निविदाकार को शीतलीकरण सहित दूध एवं दुग्ध पदार्थ के पर्याप्त भण्डारण की व्यवस्था करना आवश्यक है।
- 7) निविदाकार आवेदक को निविदा के साथ रु. 10,000/- (अक्षरी रु दस हजार मात्र) डी.डी. आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। डी.डी. संलग्न नहीं होने की स्थिति में आवेदक की निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा, तथा ऐसी निविदा स्वतः निरस्त मानी जावेगी। पूर्व में संघ में अन्य मद में जमा EMD/प्रतिभूति मान्य नहीं की जावेगी।
- 8) निविदा स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर निविदाकार को अर्नेस्टमनी राजसात करने का निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।
- 9) संचालनकर्ता को नियमित राशि का भुगतान नहीं करने पर एजेन्सी बिना कोई कारण बताये समाप्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ के पास सुरक्षित है। इसे वित्तीय अनियमितता मानी जावेगी। साथ ही आगामी संघ की किसी भी प्रकार को निविदा एवं आवेदन प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा अर्थात ब्लेक लीस्ट में शामिल किया जावेगा।
- 10) निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में निविदाकार को निर्धारित प्रतिभूति राशि रु. 5.00 लाख एवं जमा करना अनिवार्य होगा, जिसमें प्रतिवर्ष समीक्षा की जावेगी, तथा वृद्धि होने पर उतनी अन्तर की राशि पुनः पृथक से जमा करना होगा। संघ में जमा किसी भी प्रकार की राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।
- 11) सुपरस्टाकिस्ट दूध एवं दुग्ध पदार्थ को नियमित RTGS के माध्यम से राशि का भुगतान नहीं करने पर आवंटित कार्य बिना कोई कारण बताये समाप्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सह.दुग्ध संघ के पास सुरक्षित है। इसे वित्तीय अनियमितता मानी जावेगी।
- 12) ऐसे आवेदनकर्ता जो पूर्व में संघ के व्यवसाय से जुड़े हो, तथा संघ द्वारा उन्हें किसी भी कारण से कार्य के अयोग्य माना जाकर ब्लेक लिस्टेड किया गया है, उन्हें इस निविदा में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
- 13) आवेदनकर्ता को उसके द्वारा वर्तमान में किये जा रहे व्यापार का टर्न ओवर के सम्बन्ध में विवरण (दस्तावेजी प्रमाण के साथ) प्रस्तुत करना होगा। विगत तीन वर्षों का टर्न ओवर न्यूनतम रु. 30 लाख का होना अनिवार्य है। जिसके प्रमाण स्वरूप आयकर रिटर्न की प्रति एवं अंकेक्षित बेलेन्सशीट वित्तीय पत्रक वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 की संलग्न की जावे।
- 14) निविदा प्रपत्र के साथ आवेदक निविदाकार द्वारा दी गई जानकारी यदि असत्य प्रमाणित होती है तो अर्नेस्टमनी राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा, साथ ही आवेदक का ऐसा आवेदन निरस्त समझा जावेगा।
- 15) निविदा स्वीकृति की स्थिति में सफल निविदाकार को संघ के साथ निर्धारित प्रपत्र अनुसार अनुबंध रु. 1000/- के नाने ज्युडिशियल स्टाम्प पर निष्पादित करना होगा।

- 16) किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
- 17) निविदा प्रपत्र के साथ संघ के साथ किये जाने वाले अनुबंध प्रपत्र संलग्न है, जिसकी शर्तें आवश्यक रूप से पढ़कर समझ ले।
- 18) निविदा स्वीकृति के उपरांत संचालनकर्ता को कार्य अवधि दो वर्षों के लिये प्रभावशील रहेगी। दुग्ध संघ द्वारा कार्य दो वर्षों की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तों एवं प्रभावशील मार्जिन पर कार्य अवधि एक-एक वर्ष करते हुए तीन वर्ष तक कार्य समीक्षा उपरांत आपसी सहमति से बढ़ायी जा सकती है।
- 19) कार्य आदेश में वर्णित सभी औपचारिकताये निर्धारित अवधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा/निर्धारित अवधि में कार्यवाही पूर्ण न होने पर कार्य आदेश निरस्त किया जा सकेगा एवं प्रबंध द्वारा निर्णय लेने पर अमानत राशि भी राजसात की जा सकेगी।
- 20) संचालनकर्ता को दुकान किराया प्रतिमाह रू. 2000/- प्रतिमाह दुग्ध संघ कार्यालय में जमा कर MR प्रस्तुत करना होगी।
- 21) संचालनकर्ता द्वारा विद्युत देयक का प्रतिमाह भुगतान कर रसीद दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी।
- 22) संचालनकर्ता को साँची पार्लर प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक संचालित करना अनिवार्य है।
- 23) सफल आवेदनकर्ता को वितरक/सुपरस्टाकिस्ट के माध्यम से रिटेलर दर पर दूध एवं दुग्ध पदार्थ प्रदाय किया जावेगा।
- 24) आवेदनकर्ता संघ के पूर्व कर्मचारी/वर्तमान कर्मचारी या इनके रिश्तेदार नहीं होना चाहिए। प्रमाण प्रस्तुत करें व ऐसे व्यक्ति इस निविदा में भाग नहीं ले सकते हैं।
- 25) चयनित संचालनकर्ता द्वारा आवंटित पार्लर/शॉपी को अन्यत्र व्यक्ति/पार्टी को हस्तांतरित नहीं किया जावेगा। अन्यथा प्रतिभूति राशि राजसात कर आवंटित कार्य निरस्त किया जावेगा।
- 26) विकलांग को प्राथमिकता दी जावेगी।

मेरे द्वारा साँची दूध वितरकशिप की निविदा एवं अनुबंध की समस्त शर्तें पढ़ व समझ ली हैं तथा मैं/हम सभी शर्तों को मानने के लिये सहज तैयार हूँ/हैं। निविदा में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा निविदा में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिन्दु क्रमांक 01 से 26 तक वर्णित शर्तों का पालन नहीं करता हूँ एवं मेरी अर्नेस्टमनी राजसात करने का प्रबंध द्वारा निर्णय लिया जाता है तो मैं इस हेतु अपनी सहमति देता/देती हूँ।

दिनांक

—हस्ताक्षर—

(आवेदक का नाम एवं पता)